Corporation of India and the State procuring agencies had to procure paddy under price support scheme in a big way to avoid any distress sale of paddy by farmers below the support price due to non-cooperative attitude of millers. Even after giving some increase in the procurement price of levy-rice and the transportation and forwarding charges for levy-rice to be delivered by millers to Food Corporation of India, the millers did not show much interest in the purchase of paddy arrived in Punjab mandis. As on 26th December, 1990, out of total arrivals of 78 32 lakh tonnes in Punjab mandis, the Food Corporation of India and the State procuring agencies have purchased 45.26 lakh tonnes of paddy under price support operations. The millers have purchased only 33.06 lakh tonnes of paddy till 26th December, 1990 In all, the States/Union Territories taken together till 26th December, 1990, a total quantity of 49.22 lakh tonnes of paddy has been procured by Food Corporation of India and State procuring agencies under price support. Food Corporation of India and State procuring agencies have made elaborate arrangements to extend price support to the paddy growers

**देश में आरक्षण विरोधी आन्दोलन के कारण रेलवे को हुई क्षति**

263. **श्री कपिल वर्मा :**

**श्रीमती वीणा वर्मा :**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आरक्षण विरोधी आन्दोलन के पहले सात सप्ताहों के दौरान रेलों को रोकने और जलाने; रेलवे स्टेशनों को क्षति पहुंचाने और तोड़-फोड़ की अन्य कार्यवाहियों के कारण रेलवे को भारी नुकसान हुआ है; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि रेल गाड़ियों के रद्द किए जाने के कारण एवं हिंसा के डर से यात्रियों की संख्या और माल ढुलाई क्षमता में कमी आई है ;

यह कमी औसतन कितनी है और इसके परिणामस्वरूप कुल कितना घाटा उठाना पड़ा है; और

(ग) सरकार इस घाटे की क्षति-पूर्ति करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त चरण दास)** : (क) और (ख) जी हां, यद्यपि जो नुकसान हुआ है उसका सही मात्रा नहीं बताई जा सकती है, फिर भी यह लगभग 100 करोड़ के आसपास है ।

(ग) पिछले आंदोलन में हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति करना कठिन है ।

---

**[The Vice-Chairman, Shrimati Jayanthi Natarajan (in the Chair]**

**STATEMENT BY MINISTER CORRECTING THE REPLY GIVEN IN THE RAJYA SABHA ON THE 10TH AUGUST, 1990 TO UNSTARRED QUESTION 565 REGARDING ALLOTMENT OF FLATS TO 1984 RIOT VICTIMS.**

**शहरी विकास मंत्री (श्री दौलत राम सारण)** : उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं आपकी अनुमति से 1984 दंगा पीड़ितों को फ्लैटों के आवंटन के संबंध में 10 अगस्त, 1990 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 565 के लिए गए उत्तर के संशोधनार्थ एक विवरण (अंग्रेजी तथा हिन्दी में) सभापटल पर रखता हूं । [पुस्तकालय में रखा गया देखिए स. एल टी 1618A/90

---

12 Noon

**PAPERS LAID ON THE TABLE**

**REPORT AND ACCOUNTS (1989-90 OF THE WATER POWER CONSULTANCY SERVICES (INDIA) LIMITED, NEW DELHI AND RELATED PAPERS**

**जल संसाधन मंत्री, साथ में जल भूतल परिवहन मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार (श्री मनुभाई कोटाड़िया)** : महोदया, मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अधीन